

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 201/2015/उदयपुर

मैसर्स क्रुणाल ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा0 लि0,  
देबारी, उदयपुर

....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह, आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.गर्ग, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकिशोर खदाव,

उप-राजकीय अभिभाषक

....राजस्व की ओर से

दिनांक : 01.11.2018

### निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 154/वैट/2013-14/उदयपुर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.10.2013 के जरिये आरोपित शास्ति रूपये 25,86,540/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2013 को वाहन संख्या KA-19-AA-330 को बलिचा बाईपास (NH-8) पर रोककर चैक किया गया। जांच में पाया गया कि वाहन में बीड़ी परिवहनित की जा रही थी। जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा स्टॉक ट्रांसफर मेमो नं0 192 एवं 193, डिलीवरी नोट सं. 285 एवं 285, इन्चॉइस नं0 1586, 1587 दिनांक 17.10.2013 एवं कर्नाटक राज्य का घोषणा पत्र e-sugam form no. 11962577202 एवं 11262879241 प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि उक्त माल के साथ घोषणा पत्र वैट 47 प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं परिवहनित माल बीड़ी को घोषणा पत्र वैट 47 के बिना परिवहनित किये जाने को धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53(i)(ii) का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति राशि रूपये 25,86,540/- का आरोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

30

8

की गई। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि उनके द्वारा परिवहनित माल अन्तर्राज्यीय क्रय किया गया है, न कि कन्साईमेन्ट क्रय/स्टॉक ट्रांसफर तथा उनके द्वारा 'एफ' फॉर्म भी जारी नहीं किया गया है। परिवहनित माल के साथ इन्वॉयस, डिलीवरी नोट आदि संलग्न थे एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के अनुसार इस माल की inter state purchase पर वैट 47 की आवश्यकता नहीं थी, तथापि व्यवहारी द्वारा दिनांक 25.10.2013 को अपने जवाब के साथ शपथ पत्र, क्रय रजिस्टर एवं प्रपत्र वैट 47 संख्या 2829282 एवं 2829283 जो कि दिनांक 10.10.2013 को विभाग द्वारा जारी किया हुआ था, प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में व्यवहारी की करपवंचना की मंशा नहीं मानी जा सकती है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

1. State of Rajasthan Vs DP Metals (2002) 1 SCC 279 (SC)
2. Videocon Industries Ltd. Vs AC 42 Tax update 20 (HC)
3. ABB Ltd., Jaipur Vs ACTO 55 Tax World page 16 (RTB)

4. विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रकरण में व्यवहारी की ओर से जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु प्रस्तुत जवाब को सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। गुणावगुण पर आगे कथन किया कि प्रथम उपलब्ध अवसर पर पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप जवाब के साथ पेश कर दिया था, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा पत्र को अस्वीकार करते हुए जो शास्ति आरोपित की गयी है वह पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स किशनगढ़ बनाम् स.वा.क.अ. उड़नदस्ता 2013 36 टैक्स अपडेट 37 मैसर्स सेरा टैक इण्डिया बनाम सहायक आयुक्त (2013) 35 टैक्स अपडेट 49 को उद्धरित करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।
5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल जो कि कन्साइन्मेंट सेल/स्टॉक ट्रांसफर हेतु राज्य में लाया जा रहा था, के साथ घोषणा पत्र वैट 47 नहीं पाया गया था जिससे व्यवहारी की करपवंचना की मंशा सिद्ध होती है। अतः उन्होंने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को उचित बतलाते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

30



6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह था कि वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा पत्र वैट-47 उपलब्ध नहीं पाया गया था, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि अन्य वांछित दस्तावेजात यथा जी.आर., इन्वॉयस, 'डिलीवरी नोट फोर ट्रांसपोर्टर' आदि वक्त चैकिंग मौजूद थे। फॉर्म वैट 47 नहीं पाये जाने के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में अभियोग पत्रावली के अवलोकन पर पाया जाता है कि मार्गस्थ माल के संबंध में प्रेषक द्वारा Stock Transfer Memo संख्या 192 एवं 193 दिनांक 17.10.2013 तथा साथ ही इन्वॉयस संख्या 1586 एवं 1587 दिनांक 17.10.2013 भी प्रस्तुत किये हैं। इन इन्वॉयस में माल की मात्रा बैग्स में (Numbers of Bags) तथा प्रति बैग कीमत भी स्पष्टतः लिखी हुई है, जो 30,000 बीड़ी की पैकिंग के रूपये 8032.73 तथा 25,000 बीड़ी पैकिंग की कीमत रूपये 7497.27 अंकित है। इन्वॉयस संख्या 1586 के माल की कीमत रूपये 2409819/- तथा इन्वॉयस संख्या 1587 के माल की कीमत रूपये 6211983.40 अंकित है। परिवहनित माल के साथ में पाये गये Stock Transfer Memo संख्या 192 में माल की कीमत रूपये 2409819/- तथा Stock Transfer Memo संख्या 193 में माल की कीमत रूपये 6211983.40 अंकित है। उल्लेखनीय है कि माल के स्टॉक ट्रांसफर की दशा में माल की अनुमानित कीमत ही लिखी जाती है जो कि सामान्यतः Rounded off amount में ही होती है, न कि exact amount या fraction of rupee में। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों दस्तावेजों एक साथ जांच अधिकारी के सामने होने के कारण कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है तथा जो कर्नाटक राज्य के घोषणा पत्र e-sugam संख्या 11262579241 में अंकित विवरण Category of Transaction – Inter State Stock Transfer Despatch लिखा होने से और पुख्ता हो गई। अतः जांच अधिकारी द्वारा वाहन रोका जाना तथा घोषणा पत्र 47 संलग्न नहीं होने के कारण अभियोग दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।
7. परन्तु प्रकरण Adjudicating Officer को स्थानान्तरित होने पर उसके द्वारा जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसके द्वारा मैंगलोर स्थित फर्म मैसर्स भारत बीड़ी वर्क्स प्रा० लि० से नियमित रूप से बीड़ी अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में खरीदी जाती रही है एवं उसने कोई भी माल स्टॉक ट्रांसफर या Consignment sale basis पर नहीं मंगवाया गया है। अपीलार्थी ने वर्ष 2013-14 में मैंगलोर स्थित व्यवहारी से की गई खरीद के सम्बन्ध में अपने Purchase Register की प्रति भी पेश की जिसमें दिनांक 15.04.2013 से 08.08.2013 तक किये गये समस्त संव्यवहार खरीद के संव्यवहार हैं न कि स्टॉक ट्रांसफर के। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा मैंगलोर स्थित फर्म के Regional manager श्री संदेश सांदिल का शपथ पत्र भी पेश किया है जिसमें यह बताया गया है कि अपीलार्थी फर्म राजस्थान में उसके उत्पाद- "30 नम्बर बीड़ी" का




निरन्तर.....4

वितरक (Distributor) है तथा उसको प्रेषित माल अन्तर्राज्यीय बिक्री के रूप में भेजा गया है न कि स्टॉक ट्रांसफर के रूप में। कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी के प्रत्युत्तर में इंगित इन तथ्यों को मिथ्या साबित करने में असफल रहा है कि Purchase Register में दर्ज संव्यवहार अन्तर्राज्यीय खरीद के न होकर स्टॉक ट्रांसफर से संबंधित हैं। द्वितीयतः, प्रेषक फर्म के रीजनल मैनेजर के शपथ पत्र में कहे गये तथ्यों को भी गलत साबित करने में असमर्थ रहा है। कर निर्धारण अधिकारी का जोर इस तथ्य पर अधिक रहा है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में माल मंगवाये जाने के समय घोषणा पत्र वैट 47 प्रस्तुत किये थे तथा उक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा प्रयुक्त उक्त घोषणा पत्रों के प्रयोग की सूची फॉर्म वैट 48 में प्रस्तुत की गई है को तथा पूर्व में प्रयोग में लिये गये घोषणा पत्रों वैट 47 में Nature of Transaction- Consignment sale बताये जाने के कारण यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष आरम्भ से ही मंगवाये गये माल के समस्त व्यवहार Consignment sale basis पर थे न कि अन्तर्राज्यीय क्रय संव्यवहार के रूप में। कर निर्धारण अधिकारी का उक्त निष्कर्ष निश्चित रूप से तथ्यों पर आधारित न होकर मात्र तकनीकी खामियों को उजागर करते हुए दिया गया प्रतीत होता है। कर निर्धारण अधिकारी को व्यवहारी की लेखा पुस्तकों से इन क्रय संव्यवहारों की वास्तविक स्थिति पता करने के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये था।

8. उल्लेखनीय है कि माल स्टॉक ट्रांसफर या कन्साइन्मेंट बेसिस पर मंगवाये जाने की दशा में स्थानीय व्यवहारी द्वारा माल के प्रेषक व्यवहारी को माल की बिक्री का ब्यौरा, भाड़ा खर्चा, खुद का कमीशन आदि का विवरण भेजा जाता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है कि अपीलार्थी ने माल की बिक्री पट्टी तथाकथित कन्साइनर व्यवहारी को भेजी हो या कि लेखा पुस्तकों में कन्साइन्मेंट सेल की कोई प्रविष्टि दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तर के साथ में जो परचेज रजिस्टर की कॉपी पेश की गई है उसमें खरीद बिलों में उल्लेखित राशि का भुगतान माल प्राप्ति के दिन ही किया जाना दर्शाया गया है जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने मिथ्या साबित नहीं किया है। इस संबंध में उसे यदि कोई संदेह था तो अपीलार्थी के बैंक से उसके संव्यवहारों की जांच कर परचेज रजिस्टर में दिये वर्णन की सत्यता की पुष्टि कर सकता था या सही नहीं पाये जाने पर इन संव्यवहारों की प्रकृति को मिथ्या साबित कर सकता था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपनी जांच को उन तथ्यों तक ही सीमित रखा जिससे वह मार्गस्थ माल को अन्तर्राज्यीय बिक्री संव्यवहार के स्थान पर स्टॉक ट्रांसफर या Consignment sale का संव्यवहार साबित कर सके। अतः तथ्यों के समग्र परिपेक्ष्य में इस खण्डपीठ का यह स्पष्ट मत है कि प्रश्नगत माल का परिवहन अन्तर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार के रूप में किया जा रहा था न कि स्टॉक ट्रांसफर या


३

निरन्तर.....5

Consignment sale के रूप में। चूंकि प्रश्नगत माल "बीड़ी" नियम 53(1) के अन्तर्गत यथा अधिसूचित माल की श्रेणी में समाविष्ट नहीं है, अतः इस पर घोषणा पत्र 47 प्रस्तुत करने का दायित्व ही नहीं था, अतः इस कारण से इस मार्गस्थ माल पर धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53(i)(ii) के उल्लंघन का कोई अभियोग नहीं बनने के कारण धारा 76(6) के अंतर्गत आरोपित की गई शास्ति अविधिसम्मत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

9. कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा पूर्व में माल मंगाये जाने के समय घोषणा पत्र 47 प्रयोग करने तथा इन घोषणा पत्रों में संव्यवहार की प्रकृति—  
Consignment sale घोषित किये जाने के आधार पर समस्त माल ब्रांच ट्रांसफर/  
Consignment sale आधार पर मंगवाया जाना निर्णीत किया है। परन्तु इन घोषणा पत्रों वैंट 47 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा Form VAT-48 में प्रस्तुत Statement of import/used form VAT-47 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें जो इन्वॉयस नम्बर अंकित हैं वे ही इन्वॉयस नम्बर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परचेज रजिस्टर में अंकित हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए ही अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में खरीद कर मंगाये गये माल के साथ घोषणा पत्र वैंट 47 प्रस्तुत किये थे, यद्यपि उक्त माल अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं था तथा यह स्टॉक ट्रांसफर या Consignment basis पर भेजा हुआ माल भी नहीं था, अतः घोषणा पत्र वैंट 47 प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं थी।
10. अपीलार्थी का यह वैकल्पिक तर्क है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर के साथ घोषणा पत्र वैंट 47 पेश कर दिया गया था, अतः विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आलोक में शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ऊपर वर्णित पैराज में यह निर्णीत किया जा चुका है कि प्रश्नगत मार्गस्थ माल अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम के अंतर्गत खरीदा गया था न कि ब्रांच ट्रांसफर या कन्साइन्मेंट सेल के रूप में मंगवाया गया था जिस पर घोषणा पत्र वैंट 47 प्रस्तुत करने की अनिर्वायता नहीं है, अतः प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत किये गये फॉर्म को स्वीकार करने या न करने के बिन्दु पर विचार करने या निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड के अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मार्गस्थ माल के साथ में किसी कारणवश घोषणा पत्र साथ में नहीं पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में यदि प्रथम उपलब्ध अवसर पर उक्त घोषणा पत्र पेश कर दिया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिये। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टैक इण्डिया बनाम् सहायक आयुक्त, भिवाड़ी (2013) 35 टैक्स अपडेट 49 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है :-





 निरन्तर.....6

"The Hon'ble supreme court of India in case of D.P. metals (supra) has categorically held that on show cause notice regard to alleged contravention/deficiency found in a respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. **Other documents such as invoice and transport receipt were also by the themselves indicative of the bonafides of the transit of the goods.** Following in the case of DP metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day petitioner assessee having furnished form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under section 76(6) of the RVAT Act. "

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अन्य समस्त दस्तावेज मार्गस्थ माल के साथ मौजूद थे एवं अन्य द्वितीयक तथ्यों (secondary facts) से भी करवंचना किये जाने की मंशा प्रकट नहीं होती है अतः कर निर्धारण अधिकारी को प्रत्युत्तर के साथ प्रस्तुत घोषणा पत्र वैट 47 को स्वीकार करना चाहिये था।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार यह निर्णीत किया जाता है कि प्रश्नगत मार्गस्थ माल का संव्यवहार अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में क्रय किये जाने का संव्यवहार है न कि स्टॉक ट्रांसफर या कन्साइन्मेंट सेल का संव्यवहार तथा चूंकि प्रश्नगत माल- 'बीडी' नियम 53(i) के अंतर्गत अधिसूचित वस्तु नहीं है, अतः इसे क्रय संव्यवहार के फलस्वरूप राज्य में मंगवाये जाने के कारण इसके साथ घोषणा पत्र वैट 47 प्रस्तुत करने का दायित्व नहीं है, अतः आरोपित शास्ति अविधिसम्मत होने से अपास्त की जाती है।
12. परिणामतः अवर अधिकारियों (Lower authorities) के आदेश अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।
13. निर्णय सुनाया गया।

  
01.11.2018  
(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य

  
(क. एल. जैन)  
सदस्य